

## अभ्यर्थी के लिए सामान्य अनुदेश:

1. पीजीटी, टीजीटी, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक (संगीत) के पदों की ऊपर दर्शाई गई रिक्तियाँ अनंतिम हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है।
2. पीजीटी (सभी विषयों) व टीजीटी (सभी विषयों) पदों के लिए लिखित परीक्षा एक ही पाली में आयोजित की जाएगी, अतः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे संबंधित पदों में से केवल एक ही पद विषय में आवेदन करें। तथापि, अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि वे पात्र हों।
3. लिखित परीक्षा के पश्चात उचित समय पर उत्तर कुंजी केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी।
4. केन्द्रीय विद्यालय संगठन / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों की ओएमआरशीट की इमेज (प्रतिरूप) अपलोड नहीं की जाएगी तथा परीक्षा समाप्त होने के पश्चात उत्तर कुंजियों को अपलोड करने के बाद अभ्यर्थियों द्वारा की गई किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. लिखित परीक्षा का परिणाम केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित कर दिया जाएगा।
6. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
7. सभी पदों / विषयों के अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट सूची केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। इस संबंध में भी अलग से किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. केन्द्रीय विद्यालय संगठन अभ्यर्थी को उसकी उम्मीदवारी के लिए कोई पत्राचार नहीं करता है।
9. किसी अभ्यर्थी के संबंध में किसी प्रकार की सिफारिश करने पर उसे अयोग्य कर दिया जाएगा।
10. केन्द्रीय विद्यालय संगठन अभ्यर्थी की पात्रता का सत्यापन चयन प्रक्रिया के पूर्ण होने से पहले अथवा बाद में कभी भी कर सकता है। यहाँ तक कि आवेदन फार्म में सूचना की कमी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी होने के बाद तथा कार्यभार ग्रहण की तारीख और उसके बाद भी किसी भी समय पर अभ्यर्थी के पात्र न होने पर उसकी उम्मीदवारी को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।
11. आवश्यक होने पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा मामले की जरूरत के अनुसार पुनः परीक्षा आयोजित की जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में अभ्यर्थी को अपने खर्च पर पुनः परीक्षा में उपस्थित होना होगा।
12. लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जाएगा।
13. इस उत्तर-पूर्वी क्षेत्र / जोन हेतु विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी को पीजीटी के पद पर रहने तक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ही कार्य करना होगा। तथापि, वे स्थानांतरण दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उप-प्राचार्य/प्राचार्य बनने पर वे अखिल भारतीय आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
14. प्रारंभ में चयनित अभ्यर्थी दो वर्षों की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है।
15. अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त योग्यता निर्धारित योग्यता के अनुसार ही होनी आवश्यक है। **कोई अभ्यर्थी यदि अधिसूचित समकक्ष योग्यता का दावा करता है तो उसे साक्षात्कार / चयन के समय अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। अन्यथा ऐसे मामले निरस्त कर दिए जाएंगे। इसी तरह, जहाँ ग्रेड दिए गए हैं, उस स्थिति में अंकों की समकक्ष प्रतिशतता को दर्शाने वाली अंक तालिकाओं की स्थिति साक्षात्कार / चयन के समय प्रस्तुत करनी होगी।**
16. इस विज्ञापन को हिन्दी अथवा किसी अन्य भाषा में अनुवाद में यदि किसी प्रकार की विसंगति हो अथवा अंतर की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतरण अंतिम माना जाएगा।
17. परीक्षा बुकलेट, उत्तर पुस्तिकाएं (ओ एम आर), आवेदन फार्म इत्यादि अंतिम परिणाम घोषित होने की तारीख के छह माह की अवधि तक ही सुरक्षित रखे जाएंगे और उसके पश्चात् उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।
18. परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों में प्रवेश पूर्ण रूप से अस्थाई होंगे अर्थात् निर्धारित पात्रता की शर्तों के पूर्ण होने पर योग्य मानी जाएंगी।
19. अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी होने मात्र का अभिप्राय यह नहीं है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उनकी उम्मीदवारी को अंतिम मान लिया गया है।
20. टीजीटी (अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन) के पदों हेतु आवेदन के लिए केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी पेपर II) उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिनके पास बी० एड० की व्यावसायिक योग्यता है वे पात्र होंगे। स्पेशल बी० एड० अथवा डी० एड० अथवा स्पेशल डी० एड० की व्यावसायिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

- 21.** प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी पेपर-I) उत्तीर्ण अभ्यर्थी डिप्लोमा इन एजुकेशन (डी० एड०) अथवा बैचलर इन एलीमेंटरी एजुकेशन (बीईएलईडी) की व्यावसायिक योग्यता रखनेवाले आवेदन करने के लिए पात्र हैं। वे अभ्यर्थी जिनके पास बी० एड० अथवा स्पेशल बी० एड० की व्यावसायिक योग्यता है, वे प्राथमिक शिक्षक के पद के आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- 22.** केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% अंकों की छूट अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी को दी जायेगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी जिन्होंने केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (पेपर I / पेपर II) 82 अंकों अथवा उससे अधिक अंकों द्वारा उत्तीर्ण हैं वे टीजीटी (अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन) के पदों के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे तथा प्राथमिक शिक्षक उस पद के लिए निर्धारित योग्यताओं को पूरा करने पर उस पद के लिए पात्र होंगे।
- 23.** स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों / सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में कार्यरत अभ्यर्थियों को आयु में छूट नहीं दी जाएगी।
- 24.** केंद्रीय / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के केंद्रीय / राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों में नियमित / निरंतर आधार पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों की सेवाओं, की गणना अपेक्षानुसार अनुभव के उद्देश्य से कर ली जाएगी। तदर्थ / संविदात्मक सेवा और समकक्ष पदों हेतु इस विज्ञापन में दिए गए वेतनमान से भिन्न वेतनमान के मामलों में अनुभव के उद्देश्य से भी गणना नहीं की जाएगी।
- 25.** यदि सरकारी संगठनों में सेवारत अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट किया जाता है तो उन्हें साक्षात्कार के समय अनापत्ति / सतर्कता / सेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 26.** अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में रोजगार के लिए जारी किए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र में ही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और वे क्रिमि लेयर से संबंधित नहीं होने चाहिए।
- 27.** परीक्षा परिसरों में मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ या अन्य किसी प्रकार की संचार सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कारवाई के साथ-साथ भविष्य में परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है।
- 28.** इस भर्ती के संबंध में किसी प्रकार के विवाद के मामलों में क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली स्थित न्यायालय का होगा।